न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला–प्रतापगढ (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश मण्डोवरा.आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

छोटीसादडी जिला–प्रतापगढ (राज0)

1–राधेश्याम पिता श्री जयचन्द जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क वर्ष
2–अम्बालाल पिता जयचन्द जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
3–नानालाल पिता जयचन्द जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
4–प्यारीबाई पिता जयचन्द जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
5–नानीबाई पिता जयचन्द जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
6–मु0 टाकूबाई पत्नी स्व0 जयचन्द जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
पेशा–कृषि निवासी–हडमतिया कुण्डाल तह0–छोटीसादडी जिला–प्रतापगढ (राज0)
–वादी

–बनाम–

1–श्री कंवरलाल पिता गणेषराम जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
2–श्री रामलाल पिता गणेषराम जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
3–श्री जगदीश पिता जयचन्द जी जाति–ब्राहमण आयु–वयस्क
सभी निवासीयान–हडमतिया कुण्डाल तहसील–छोटीसादडी राज0
4:–भूमिधारी,राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, छोटीसादडी (राज.)
–प्रतिवादीगण

प्र0क0–63/2016–रेवेन्यु मूल

वाद बाबत –बटवारा घोषणा व स्थाई निषेधज्ञा

उपस्थित–श्री उमेश वया –वादीगण की ओर–
प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही ।

–निर्णय–

संक्षिप्त में वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है –

1–वादीगण ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में अन्कित ग्राम–हडमतियाकुण्डाल प.ह0 बसेडा की आराजीनं0 23–रकबा–0.14 हे0 आ0नं0–24 रकबा–0.31 हे0 आ0नं0– 25 रकबा– 0.35 हे0 आ0नं0– 26 रकबा–' 0.05 हे0 आ0नं0– 28 रकबा– 0.05 हे0 आ0नं0– 29 रकबा– 0.05 हे0 आ0नं0–30 रकबा– 0.21 हे0 आ0नं0–31 रकबा– 0.23 हे0 आ0नं0– 32 रकबा– 0.03 हे0 जुमला किता– .09 जुमला रकबा–1.42 हे0 आराजी मे प्र0क0– 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व वादीगण क0–1 से 6 तक का 1/3 हिस्सा, प्र0क0–3 का 1/3 हिस्सा आराजीनुसार काबिज होने से विभाजन कराना चाहते है ।

2–इस सम्बन्ध में न्यायालय मे वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया लेकिन प्रतिवादीगण क0–1 व 2 बावजूद डाक रजि0 ए0डी0 तामील के न्यायालय मे उपस्थित नही आये। प्र0क0–3 जदीशचंद का इकबालिया जवाब पेश हुआ जिसके बाद न्यायालय द्वारा दिनांक–21–4–2017 को प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार छोटीसादडी को 200/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्ति किया जाकर उपरोक्त आराजियात का उभय पक्षकारान की मौजूदगी में वाद पत्र के अनुसार आराजियात

[illegible] वगैरा —बनाम— कंवरलाल गैरा
–वादी –प्र0वादी

3–कि तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा दिनांक–3–7–2017 को फर्द बटंवारा न्यायालय हाजा ने प्रस्तुत किया गया लेकिन इस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर न होने से पुनः लौटाया जाने से दिनांक–29–8–2017 को तहसीलदार छोटीसादडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि खातेदार रामलाल व कवंरलाल के हस्ताक्षर करने से मना करने से हस्ताक्षर फर्द बटवारा पर नही कराये जा सके। उनकी ओर से कोई आपत्ति पत्रावली पर नही आई है।

4–कि उक्त प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया पत्रावली में मौजूद समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो को ध्यानपूर्वक मनन –चिंतन किया गया बहस वकील वादीगण की ओर से सुनी गई।

5–कि पत्रावली पर आई साक्ष्य व प्राथमिक डिकी के पालना में आई फर्द बंटवारा मौका रिपोर्ट में कोई सुधार करने की गुंजाईश नही है । जिस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजियात का 1/3 –1/3 हिस्से के अनुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है अतएव इसीनुसार अन्कित डिकी जारी की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज हेतू अन्तिम डिकी पृथक से जारी हो डिकी पर्चा मुर्तिब होकर अमल दरामद हो पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में दिनांक– — से पूर्व प्रस्तुत पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/9/17 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

18.9.17
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी – प्रतापगढ़